सं0 I/ /2025–ई0 66081

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक** **सितम्बर, 2025**

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में "जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के भवन निर्माण/संचालन एवं रखरखाव हेतु अनुदान मद" के अन्तर्गत चालू कार्यों/योजनाओं की अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं0 1981/वि0अनु0/02/शा0अनु0/2025–26 दिनांक 27 जून, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर के अन्तर्गत "जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के भवन निर्माण/संचालन एवं रखरखाव हेतु अनुदान मद" में निम्नलिखित योजनाओं हेतु विभिन्न शासनादशों द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 525.230 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 315.410 लाख को कम करते हुए अवशेष धनराशि रू0 209.820 लाख (रू0 दो करोड़ नौ लाख बयासी हजार मात्र) धनराशि को वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	कुल स्वीकृत लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवेशष धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
01	जनपद टिहरी की नई टिहरी शाखा के अन्तर्गत जिला स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला भवन निर्माण की योजना।	56.480	33.888	33.888	22.592	22.592
02	जनपद हरिद्वार की हरिद्वार शाखा के अन्तर्गत जिला स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के भवन निर्माण की योजना।	59.750	35.850	35.850	23.900	23.900
03	जनपद अल्मोडा की अल्मोडा शाखा के अन्तर्गत जिला स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के भवन निर्माण की योजना।	62.750	37.650	37.650	25.100	25.100
04	जनपद उत्तरकाशी की उत्तरकाशी शाखा के अन्तर्गत जिला स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के भवन निर्माण की योजना।	70.180	42.108	42.108	28.072	28.072
05	जनपद पिथौरागढ की पिथौरागढ शाखा के अन्तर्गत जिला स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के भवन निर्माण की योजना।	66.330	39.798	39.798	26.532	26.532
06	जनपद बागेश्वर की बागेश्वर शाखा के अन्तर्गत जिला स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के भवन निर्माण की योजना।	89.310	53.586	53.586	35.724	35.724
07	जनपद पौडी गढवाल की पौडी शाखा के अन्तर्गत जिला स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के भवन निर्माण की योजना।	69.500	41.970	41.970	27.530	27.530
08	जनपद देहरादून की उत्तर शाखा के अन्तर्गत जिला स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला देहरादून के लिए माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाली का कार्य।	50.930	30.560	30.560	20.370	20.370
कुल योग		**525.430**	**315.410**	**315.410**	**209.820**	**209.820**

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से संबंधित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार, उत्तराखण्ड को धनराशि के आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही कोषागार से किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन उन योजनाओं, जिनमें कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति 80 प्रतिशत से अधिक हो अथवा कार्य पूर्ण होने की स्थिति में हो, को वरीयता दी जाए।

(v) योजनावार/कार्यवार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक योजना का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार आवंटन एवं व्यय योजना की अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जाए। योजना की अनुमोदित लागत से अधिक आवंटन कदापि न किया जाए।

(vii) उक्तानुसार चालू योजनाओं पर धनावंटन/व्यय करने के निमित्त योजना की स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेश में विहित अन्य समस्त शर्तें यथालागू का अनुपानल सुनिश्चित किया जाए।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति–03–नगरीय पेयजल–04–जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण/संचालन एवं रख रखाव हेतु अनुदान –53–वृहत् निर्माण मद कार्य के नामें डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि, आहरण वितरण अधिकारी को संलग्न कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)2025 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के दिशा–निर्देश संख्या I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1) 2025 दिनांक 31.03.2025 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

Digitally signed by
Apurva Pandey
Date: 22-09-2025
16:24:45

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव।

पृ0सं0– /ई0 66081/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
7. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Digitally signed by
Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 22-09-2025
16:32:42

(डी0एम0एस0राणा)
संयुक्त सचिव।